

14/1/22

पंजाब नी. प्रान्त (वकील शर्की अनुपस्थित)
वकील शर्की के काफ़र कौटुम्बिक डिवाइस
श्रीमान की पालना में कौटुम्बिक तह
तलवाता नोटिफिकेशन नहीं किया है कतः
न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता के
कौटुम्बिक 9 नियम 5 एवं राज. प्र. स. 1956
कौटुम्बिक की धारा-63(1) के अन्तर्
पाद को खारिज करते का कौटुम्बिक डेक है
पंजाब नी. केवल सुनार होकर नमक से
कर है।

~~(प्रियंका त्रिवेदी)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़~~

